(२२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2755–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार प्रभारी देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा प्रकरण क्रमांक– 88/अ–6/2016–17.

.....

हनुमतेश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद
निवासी ग्राम पलिया, त्रिवेणी सिंह तहसील
मऊगंज जिला रीवा

------आवेदक

विरूद्ध

जयशंकर त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश त्रिपाठी
निवासी ग्राम पलिया, त्रिवेणी सिंह तहसील
मऊगंज जिला रीवा

------अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 12/7/18 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार प्रभारी देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा के आदेश दिनांक 28–7–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु नायब तहसीलदार देवतालाब तहसील मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 88/अ–6/2016–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की। प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा एक

आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर नायब तहसीलदार ने दिनांक 28–7–17 को आदेश पारित करते हुये आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु निर्धारित किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिनका परिसीलन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवदेक द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया प्रचलित है। किन्हीं भूमियों के संबंध में बटवारा प्रकरण लंबित हो तब उन्हीं प्रश्नाधीन भूमियों के नामांतरण किये जाने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना जारी की जाना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना बताया था तब तहसीलदार को विधिवत आवेदक के हितबद्ध होने के संबंध में परीक्षण कर प्रकरण में पक्षकार संयोजित करना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति पर सकारण एवं बोलता हुआ आदेश पारित न कर आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है नायब तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 28–7–2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक एवं स्वत्व रखने वाले पक्षकारों सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत प्रकरण का विधिवत निराकरण करें।

12/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,